न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः- **मृदुला शेखावत,** आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या- 141/2021

वादी :-

1. हेमचन्द पुत्र श्यामलाल जाति ब्राहमण निवासी जैतिवास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. श्यामलाल पुत्र जवरीलाल
2. पारस मल पुत्र श्यामलाल
3. पपुदेवी पुत्री श्यामलाल
4. रेखा पुत्री श्यामलाल सभी जातियान ब्राहमण निवासीगण जैतिवास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः-वादी - श्री अशोक कुमार पटेल अधिवक्ता।

प्रतिवादी सं. 1 से 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

प्रतिवादी सं. 5 सरकारी पेरोकार।

निर्णय **दिनांकः-** 26/08/25

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 4 सगे भाई बहिन है तथा एक ही परिवार के सदस्य है। तथा प्रतिवादी सं. 1 के जायन्दा पुत्र व पुत्री है। ग्राम जैतिवास में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 व 04 की विरासत में प्राप्त पैतृक कृषि भूमि खसरा नम्बर 1259 रकबा 1.7555 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 1286 रकबा 0.4288 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय स्थित है। जो उक्त खसरे की भूमि पूर्व में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 के पिता स्वर्गीय श्री जवरीलाल के खातेदारी की थी । उक्त खसरे की भूमि को आगे वाद में वादग्रस्त कृषि भूमि के नाम से संबोधित किया जायेगा । वादपत्र में के पैरा सं. 3 में वर्णित वंशावली के अलावा प्रतिवादी संख्या 01 श्यामलाल के कोई वारिस या उत्तराधिकारी नही है। वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 04 की पैतृक कृषि भूमि होने से वादी का उक्त पैतृक कृषि भूमि मे हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी का 1/5 हिस्सा बनता है तथा 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 का व 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 02, 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 03 व 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 04 का बनता है। मगर प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 ने वादी के हक हिस्से की भूमि को हड़पने की नियत से प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 ने षड़चत्र रच कर वादी को धोखा देने की नियत से व वादी के हक हिस्से की भूमि को हड़पने एवं वादी को अपने हक व अधिकारो से वंचित करने की नियत से प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 ने वादी के पिता जो प्रतिवादी संख्या 01 है श्यामलाल से मिलीभगत करके एक मात्र वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 का ही नाम से राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करवाने एवं वादी के हक हिस्से से महरूम करने की नियत से प्रतिवादी संख्या 01 से 04 चुपके चुपके अपने नाम से दर्ज करवाने को उतारू है । उक्त खसरो की भूमि पैतृक कृषि भूमि होने से वादी का भी हक हिस्सा आता है। उक्त पैतृक कृषि भूमि का वादी अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाना चाहता है खातेदारी के अभाव में वादी को सरकारी योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है। तथा वादी

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

को प्रतिवादी संख्या 01 से 04 ने अपने नाम करवा कर उक्त भूमि को खुर्द बुर्द एवं बैचान करने की वादी को स्पष्ट धमकी दे डाली है तथा गलत म्यूटेशन के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 से 04 मिल कर वादी के हक हिस्से की भूमि को अन्य को बैचान करने पर उतारू है । वादी अपनी पैतृक कृषि भूमि में अपने पिता की जमीन में से अपना हक हिस्सा पाने की एक मात्र अधिकारी है। हाल ही मे वादी अपने हक हिस्से की जमीन की जमाबन्दी की नकल लोन लेने हेतु आवश्यकता हुई तब जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो उसमे पाया गया कि वादी का हक हिस्सा नही है तथा प्रतिवादी संख्या 01 वादी का पिता है के नाम से खातेदारी दर्ज है जिस कारण वादी लोन की कार्यवाही भी नही कर सका है जिससे वादी सरकारी योजनाओं से भी वंचित हो गया है। वादग्रस्त भूमि मे से वादी ने अपने 1/5 हिस्से की भूमि को अपने नाम करवाने एवं प्रतिवादी संख्या 1 का भी 1/5 व 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2, तथा 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 व 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 04 का राजस्व रेकर्ड करवाने का बार बार कहा गया मगर प्रतिवादी संख्या 01 ने वादी का 1/5 हिस्सा देने से इन्कार हो गये तथा वादी को एलानिया तौर पर धमकीया दी कि वे वादग्रस्त खसरे की सम्पूर्ण भूमि को किसी अजनवी व्यक्ति को बैचान कर देगे तथा वादी को उसके हिस्से की भूमि से हमेशा हमेशा के लिये वंचित कर देगे ।

अतः वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर वादग्रस्त भूमि ग्राम जेतिवास की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1259 रकबा 1.7555 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1286 रकबा 0.4288 हैक्टेयर वादी का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 02 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 03 का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 04 का 1/5 हिस्सा की खातेदारी की डिकी जारी की जाकर राजस्व रेकर्ड मे इसी अनुसार म्यूटेशन भरा जाने हेतु प्रतिवादी संख्या 05 तहसीलदार, बिलाड़ा को अलग से तहरीर जारी की जावे साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त भूमि मे वादी के 1/5 हिस्से की भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 01-04 न तो स्वयं व न ही अपने नौकर, एजेण्ट, मजदूर आदि के माध्यम से कोई बाधा ही पहुचाई जावे तथा इसी हिस्से अनुसार वादी को उसके कब्जे काश्त में कोई बाधा न तो स्वयं पहुंचावे व न ही अपने परिवार के सदस्यो या अन्य के माध्यम से ही पहुचाई जावे। अन्य आज्ञा जो वादी के हक मे हो एव प्रतिवादीगण के विरूद्ध हो जारी की जावे ।

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 4 को उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी सं. 1 से 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी की ओर से दावा का खण्डन नहीं होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादीगण ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र हेमचन्द पुत्र श्यामलाल का पेश किया गया।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 ग्राम जैतिवास के खाता सं. 568 की ई प्रतिलिपि , प्रदर्श 2 ग्राम जैतिवास के खसरा सं. 1259 की ई प्रति, प्रदर्श 3 ग्राम जैतिवास के खसरा सं. 1286 की प्रति आदि प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया कि राजस्व ग्राम जैतिवास की सरहद में स्थित भूमि खसरा नंबर 1259 रकबा 1.7555 हैक्टयर तथा खसरा नंबर 1286 रकबा 0.4288 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से इन्द्राज है जो कि वादी के पिता है। वादी द्वारा वादपत्र के पैरा सं. 2 में वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादी सं. 1 के पिता स्वर्गीय जवरीलाल की खातेदारी बताया गया। वादी द्वारा वादपत्र के पैरा सं. 3 में वर्णित वंशावली के अतिरिक्त अन्य कोई प्रतिवादी सं 1 के वारिसान होना नहीं बताया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रतीत होता है कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी भूमि है। हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम 2005 के अनुसार पुश्तैनी कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 4 के बराबर-बराबर हक अधिकार बनता है। इसी प्रकार वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि में वादी का प्रतिवादी सं. 1 सम्पूर्ण हिस्से में से हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम के अनुसार वादी का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 का 1/5 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 1/5 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं 3 का 1/5 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 का 1/5 वां हिस्सा बनता है। वादी हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम के अनुसार पैतृक संपति के आधार पर अपनी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज करवाने की अधिकारी है। वादी का दावा डिक्री किये जाने योग्य है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम जैतिवास, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नंबर 1259 रकबा 1.7555 हैक्टयर तथा खसरा नंबर 1286 रकबा 0.4288 हैक्टयर में वादी का 1/5 वां हिस्सा घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी की घोषित खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करे एवं न ही अन्य किसी से करावे। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 26/09/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादी :- हेमचन्द

बनाम

प्रतिवादीगण :- श्यामलाल वगैरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :- 141/2021

दिनांक :- 26/04/25

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री अशोक कुमार पटेल अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सं. 1 से 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी सं. 5 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम जैतिवास, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नंबर 1259 रकबा 1.7555 हैक्टयर तथा खसरा नंबर 1286 रकबा 0.4288 हैक्टयर में वादी का 1/5 वां हिस्सा घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी की घोषित खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करे एवं न ही अन्य किसी से करावे। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा